

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 490/2009/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
उडनदस्ता, राज.-III, जयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स दिल्ली बॉम्बे ट्रांसपोर्ट सर्विस,  
मोरीगेट, दिल्ली

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ  
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी राजस्व की ओर से

प्रत्यर्थी बावजूद अखबार प्रकाशन सूचना के अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : ~~03/10/2016~~ {

23.11.2016

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), प्रथम वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 406/आरएसटी/एनआरडी/2000-01 में पारित आदेश दिनांक 28.05.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता-तृतीय, राज., जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2000 के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 78(8) के तहत कायम शास्ति 73,509/- को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 02.06.2000 को सशक्त अधिकारी ने वाहन संख्या एचआर 26/9025 को चेक किया गया। चालक/मालप्रभारी से वाहन में परिवहनीय माल से संबंधित दस्तावेज मांगने पर उनके द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन पर पाया कि परिवहनीय माल के दस्तावेज दिल्ली से मुम्बई के लिए थे। कम्प्यूटर फ्लोपी से दस्तावेजों की जांच की जाने पर दिल्ली के अधिकांश माल विक्रेता व्यवसायियों के पंजीयन या तो पंजीकृत नहीं पाये गये अथवा उनका कोई अस्तित्व नहीं होना पाया गया। इस संदेह के आधार वास्ते माल सत्यापन प्रेषक एवं प्रेषिति 78(5) के तहत ट्रांसपोर्ट कम्पनी को नोटिस जारी करने के साथ साथ माल मालिकों से मिलीभगत कर कर चोरी की नियत से मिथ्या दस्तावेजों के जरिये माल परिवहनीय किया जाना मानते हुए धारा 78(8) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में ट्रांसपोर्ट कम्पनी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, परन्तु जवाब के साथ माल प्रेषक एवं प्रेषिति बाबत कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। परिवहनीय माल का भौतिक सत्यापन नियमानुसार करवाया गया। प्रस्तुत जवाब से असहमत होते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा व्यवसायियों को मिथ्या दस्तावेजों के जरिये करापवंचन की नियत से माल परिवहनीय करने का दोषी

लगातार.....2



मानकर, परिवहनीय माल कीमतन पर धारा 78(8) के तहत शास्ति 73,509/- आरोपित की। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 28.05.2008 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए आरोपित कर एवं शास्ति को अपास्त कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील राजस्थान कर बोर्ड में अधिनियम की धारा 85 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

3. राजस्व पक्ष की बहस सुनी गई। प्रत्यर्थी बावजूद सूचना जरिये अखबार प्रकाशन के अनुपस्थित रहा।

4. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. राजस्व पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। वाहन में लदे माल का भौतिक सत्यापन ट्रां. कं. के प्रतिनिधी श्री आर.एस.शर्मा की उपस्थिति में किया गया। भौतिक सत्यापन पर वाहन में रू0 47,400/- का कर योग्य माल बिना दस्तावेजों के पाया गया। रू0 51,000/- बिना बिल के पाया गया। रू0 1,46,630/- का कर योग्य माल प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार पाया गया।

6. अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 28.05.2008 अपास्त किया जाता है तथा सक्षम अधिकारी को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे संबंधित दस्तावेजों की सही जांच कर पुनः आदेश जारी करे।

आदेश प्रसारित किया गया।

  
( खेमराज )  
अध्यक्ष